



ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महिला प्रधानों की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Dr. Sohini

Ph.D

IIT Roorkee Uttarakhand

सारांश

भारतीय संविधान का 73वाँ संविधान अधिनियम द्वारा ग्रामीण महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलने से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। इसके द्वारा महिलाओं नेतृत्व में आगे आने से उन्हें पुरुषों के समान शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तथा महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है महिलाओं की परिवार व समाज में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। तथा महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन पर आधारित उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद के अरनिया विकास खण्ड के पांच गांवों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में पाया कि पंचायत में महिला नेतृत्व द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उन्होंने गांव के विकास कार्यों और समाज सुधार में सराहनीय प्रगति की है।

प्रस्तावना

परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चाहे यह कहीं भी हो या किसी भी रूप में प्रत्येक समाज को परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसलिए परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं है। आधुनिक भारतीय समाज में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं। समाज के विकास की वास्तविक स्थिति महिलाओं की सुदृढ़ एवं सह अधिकारी के बिना नहीं जानी जा सकती है। 20वीं सदी के अंतिम चरण में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के तीव्र प्रयास किए गए। 1975 का वर्ष इस दृष्टि में सुधार हेतु गंभीर प्रयास किये और इस वर्ष को अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। भारत ने भी इस दिशा में कई कड़े कदम उठाये। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के उपरान्त बना पंचायती राज अधिनियम जिसमें महिलाओं को ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधित्व में एक तिहाई स्थान मिला। भारत देश ग्रामीण संरचना पर आधारित है। इसलिए गांव की संरचना में महिलाओं को जब तक उनका अधिकार नहीं दिया जाता तब तक महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य अधूरा ही रहेगा। यह महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति



सम्पन्न बनाना। पुरुष सत्तात्मक समाज में महिलाओं को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाये जिससे कि महिलाएं असित्व में आकर अपना निर्णय अधिकार पुरुषों के समक्ष प्राप्त कर सकें। भारत में पंचायती राज अधिनियम के कारण महिलाओं को जो एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। उससे महिलाओं के सशक्तिकरण होने की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उनके पंचायतों के अनुभवों से पता चला है कि महिलाओं को उचित अवसर मिलने पर उन्होंने महिला प्रधान की भूमिका सफलता से निभाई है। महिलाओं ने बहुत समझदारी व साहस का परिचय देते हुए अपनी इस भूमिका को संभाला है। व उनके प्रयासों से गांवों में सराहनीय प्रगति हुई है। सभी स्तर पर सीधे जनता द्वारा चुनाव, जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, अनुसूचित जाति-जनजाति का आबादी आधारित आरक्षण तथा प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष पदों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी 73वें संशोधन की बदौलत हुआ। जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में तीव्र प्रगति हुई।

अध्ययन के उद्देश्य—

1. महिला प्रधानों की सामाजिक— स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला प्रधानों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. महिला प्रधान बनने के बाद उनकी सशक्तिकरण की भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति—

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य को देखते हुए पांच गांवों की महिला प्रधानों का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए पांच गांव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा चुने गये हैं। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद के खुर्जा तहसील के अरनिया विकास खण्ड के पांच गांवों— देवराला, बादशाहपुर, पचगाई, बाढ़ा, नैमताबाद और वाजिरपुर का अध्ययन किया गया है।

वैयक्तिक अध्ययन—

अध्ययन—1

धर्मवती देवी, (बदला हुआ नाम) उम्र 55 वर्ष ने अपनी पंचायत में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने एवं गांव में आर्थिक, रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



धर्मवती देवी ने बताया मैं अनसूचित जाति की महिला हूँ। प्रारम्भ से हमारे समाज में पितृ सत्तात्मक, भूमिका होने के कारण हमें ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं गया। तथा हमारी देखभाल भी उस ढंग से नहीं हुई जिस प्रकार पुरुषों की होती है। मैं आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर थी। परिवार की सारी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती थी। रसोई, बच्चों की देखभाल इत्यादि। फिर मुझे पंचायती राज द्वारा महिला प्रधान का चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसमें मैं विजयी हुई। उसके पश्चात् मैंने गांव में अनेक विकास कार्य कराए। मनरेगा के तहत गांवों की महिला व पुरुषों को नियंत्रित रूप से रोजगार दिया। महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कराया। गांव में गरीब निर्धनों महिलाओं की शादी-इत्यादि में कसरकार द्वारा सहायता प्रदान की। जिससे समाज में मुझे उचित सम्मान प्राप्त हो रहा है। तथा मैं अपने निर्णय स्वतन्त्र रूप से लेती है। तथा महिला प्रधान बनकर सशक्तिकरण की भूमिका निभा रही हूँ।

अध्ययन-2

रेखादेवी (बदला हुआ नाम) उम्र 45 वर्ष कहती हैं मेरे परिवार में पति के अलावा तीन बच्चे हैं। पति गांव से बाहर शहर में जाकर व्यवसाय करते हैं। जिससे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्कूल भेजने इत्यादि की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। घर-गृहस्थी इत्यादि की जिम्मेदारी निभाने के साथ गांव की महिलाओं ने मुझे प्रधानी के चुनाव में खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा कि तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी तो अच्छी प्रकार से निभा रही हो। पर समाज के प्रति भी तुम्हारा कुछ उत्तरदायित्व है। तब मैं प्रधान के चुनाव के लिए अपने पति से सलाह की। तो पहले तो मुझे न कर दिया। कहा कि इससे तुम हमें समय नहीं दे पाओगी तथा बच्चों की देखभाल भी नहीं होगी। पर मैंने उन्हें समझाकर चुनाव के लिए राजी कर लिया। तथा चुनाव लड़कर जीत कर प्रधान बन गई। हमारे गांव की गली, नालियां अत्यधिक जर्जर अवस्था में थी तथा गांव की शौचालय निकास व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। प्रधान बनने के पश्चात् सर्वप्रथम मैंने शौचालय निकास व्यवस्था ठी कराई। पक्की सड़के व नालिया बनवाई। उचित कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था की जिससे गांवों में मुझे सभी का सहयोग प्राप्त हुई। तथा इससे मेरी सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और महिला प्रधान के रूप में सशक्त हुई।

अध्ययन-3

रजनी (बदला हुआ नाम) उम्र 42 वर्ष बताती है कि हमारे ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न समझी जाती है। पुरुषों को यह लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकती। मेरे पति की मृत्यु के पश्चात् परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गयी। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मेरी शिक्षा भी कम थी। इससे



समाज में मुझे दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। फिर गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर मुझे चुनाव में उतारने की बात कही। उन महिलाओं ने मुझे अपने अस्तित्वको बचाने की बात कही। तब गांव की महिलाओं के सहयोग से मैं चुनाव लड़ी तथा जीतकर ग्राम प्रधान बनी। गांव की महिलाओं ने अपने परिवार के पुरुषों के विरोध के बावजूद वोट देकर मुझे जिताया। अब मैंने महिला प्रधान बनकर गांव के विकास के लिए गरीब जिनके पास जमीन नहीं थी। सरकारी जमीन गांवों को आवंटित कराई। बूढ़ी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगों को पेंशन, विधवाओं को सरकार द्वारा प्राप्त पेंशन दिलवाई। गांव में एक शराब का ठेका था। जिसे महिलाओं के साथ मिलकर। तुड़वाया तथा गांव के विकास के लिए अन्य कार्य किये। अब मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गयी। समाज में मुझे आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। मेरी सशक्तिकरण की भूमिका मजबूत हुई।

अध्ययन-4

शबनम बानो (बदला हुआ नाम) उम्र लगभग 36 वर्ष ने बताया कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में सारे निर्णय पुरुष लिया करते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं हुई। मेरी शादी भी जल्दी कर दी गई। ससुराल में भी कफ़ी बड़ा परिवार था। घर का सारा कार्य मुझे ही करना पड़ता था। किन्तु मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने मुझे पंचायती राज द्वारा दिये महिलाओं के अधिकारों को बताया। और मेरी मदद करते हुए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ाया। जिसमें मैं जीतकर प्रधान बनी। मैंने कब्रिस्तान की भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर कब्रिस्तान की चाहरदीवारी करवाई। गांव में प्राथमिक स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत प्रधानाध्यापक की मदद से कराई। बच्चों को स्कूली शिक्षा मुक्त उपलब्ध हो तथा बच्चों का मिड डे मील का कार्य सुचारु रूप से कराया जिससे गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। गांव की सड़कों, नालियों का विकास कराया। इस प्रकार गांव में अनेक कार्य कराये जिससे गांव में मुझे सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई। मुझे अपने सशक्त होने का अहसास हुआ। तथा परिवार के निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई।

अध्ययन-5

कल्पना (बदला हुआ नाम) उम्र 33 वर्ष कहती है। मैं अत्यन्त निर्धन परिवार से हूँ। तथा दलित महिला हूँ। कम आयु से ही मैंने कड़ी मेहनत कर अपने परिवार को पाला और स्थिति को सुधारा। गांव में जब पंचायत चुनाव हुए तो कुछ रसूखदार व्यक्तियों ने मेरी उम्मीदवारी निरस्त करने का प्रयास किया। लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाये। महिला प्रधान जीतकर एक प्रकार से मैंने उन रसूखदार लोगों का गुरुर तोड़ा। प्रधान बनने के



बाद मैने उन व्यक्तियों द्वारा किये अतिक्रमण को हटाया। ग्रामीण गरीब लोगों की जमीन जो उन पर गिरवी रखी थी। मुक्त करवाई तथा गरीबों को इंदिरा आवास के तहत घर उपलब्ध करवाया। गरीब व्यक्तियों को मनरेगा के तहत उनको रोजगार दिलवाया। इस प्रकार महिला प्रधान बनकर न सिर्फ मेरी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। बल्कि सामाजिक स्थिति भी मजबूत हुई। और मेरा सशक्तिकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ।

निष्कर्ष –

भारतीय समाज की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। जिसमें महिलाओं के जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त 73वाँ संशोधन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन है। जिससे महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। उपरोक्त वैयक्तिक अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं प्रधान बनकर सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। उनके परिवार में व समाज ने निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। समाज में उन्हें पुरुषों के समान सम्मान मिल रहा है। 73वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है।

संदर्भ :

1. उमर फारुखी, “महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका” लेख कुरुक्षेत्र- अंक-12, पीपी-33 अक्टूबर 2010, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
2. सुधीर, कृष्णा, “वूमैने एण्ड पंचायती राज: द लो प्रोग्राम एण्ड प्रेक्टिस, जनरल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वाल्यूम 16(4) एन0आई0आर0डी0 हैदराबाद पीपी-651-622, 1999।
3. वोहरा, पी0ओ0, “वूमैन इन डीसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी” जनरल ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाल्यूम-16, पीपी-673-683, 1997।
4. जोशी, आर0पी0 एण्ड नखानी एस0जी0, “पंचायती राज इन इण्डिया: इमर्जिंग ट्रेन्ड्स एकास इण्डिया, जयपुर, रावत पब्लिकेशन, 2012।
5. डोगरा, भारत, “पंचायती राज में सामने आई महिलाओं की नेतृत्व क्षमताएं” ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र वाल्यूम-62, नवम्बर 2015, पीपी-30-33।
6. सेठ मीरा, “वूमैन एण्ड डेवलपमेंट: द इण्डियन एक्सपीरियन्स” दिल्ली सेज प्रकाशन, 2001।